रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2008/वैशाख 19, 1930
No. 171] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2008/VAISAKHA 19, 1930

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).— भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 1, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर, दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (डब्ल्यूआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :–

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :–

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र दादर व नागर हवेली और दमन व दीव को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया जाता है :–

(i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) तथा वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (डब्ल्यूआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।

(iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियाँ तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।

(iv) क्षेत्र के प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र में उत्पादन/पारेषण/बिजली के वितरण से जुड़ी कंपनियों से संबंधित संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

(v) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियाँ) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मे. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।

(vi) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।

(vii) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वोल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।

(viii) सदस्य सचिव, डब्ल्यूआरपीसी-संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 9th May, 2008

F. No. 23/1/2004-R&R (Vol.-II).—In this Ministry's Resolution F.No. 23/1/2004-R&R dated 25th May, 2005 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, (1596 GI/2005) establishing the Westen Regional Power Committee (WRPC) under the provisions of sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 and the subsequent amendment made *vide* Resolution dated 29th November, 2005, the following amendments are hereby made :—

Para 3 of the Resolution dated 29-11-2005 is replaced by the following para 3:—

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Western Regional Power Committee (WRPC) comprising the States of Chhatisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa and the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu with the following members:—

(i) Member (Grid Operations) Central Electricity Authority (CEA).

(ii) One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), National Load Despatch Centre (NLDC) and the Western Regional Load Despatch Centre (WRLDC).

(iii) From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

(iv) From each of the Union Territories in the region, a representative nominated by the administration of the Union Territory concerned out of the entities engaged in generation/transmission/distribution of electricity in the Union Territory.

(v) A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

(vi) A representative of the generating companies having power plants in the region [not covered in (ii) to (v) above] by alphabetical rotation.

(vii) One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(viii) Member Secretary, WRPC - Convenor.

Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).— भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर, दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :—

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत समिति का गठन किया जाता है :—

(i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) तथा नार्थ-ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनईआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।

(iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियाँ तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।

(iv) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियाँ) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मे. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।

(v) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।

(vi) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वोल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।

(vii) सदस्य सचिव, एनईआरपीसी-संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी पी. केशरी, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 9th May, 2008

F. No. 23/1/2004-R&R (Vol.-II).—In this Ministry's Resolution F.No. 23/1/2004-R&R dated 25th May, 2005 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, (1596 GI/2005) establishing the North-Easten Regional Power Committee (NERPC) under the provisions of sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 and the subsequent amendment made vide Resolution dated 29th November, 2005, the following amendments are hereby made:

Para 3 of the Resolution dated 29-11-2005 is replaced by the following para 3:

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the North Eastern Regional Power Committee (NERPC) comprising the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura with the following members :—

(i) Member (Grid Operations) Central Electricity Authority (CEA).

(ii) One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), National Load Despatch Centre (NLDC) and the North Eastern Regional Load Despatch Centre (NERLDC).

(iii) From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

(iv) A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

(v) A representative of the generating companies having power plants in the region [not covered in (ii) to (v) above] by alphabetical rotation.

(vi) One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(vii) Member Secretary, NERPC - Convenor.

Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).—भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (एसआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :–

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को शमिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत समिति का गठन किया जाता है :–

(i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) तथा सदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (एसआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि ।

(iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।

(iv) क्षेत्र के प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र में उत्पादन/पारेषण/बिजली के वितरण से जुड़ी कंपनियों से संबंधित संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

(v) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियां) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मै. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।

(vi) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फावेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।

(vii) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वोल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।

(viii) सदस्य सचिव, एसआरपीसी–संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी पी. केशरी, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 9th May, 2008

F. No. 23/1/2004-R&R (Vol.-II).—In this Ministry's Resolution F.No. 23/1/2004-R&R dated 25th May, 2005 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1 (1596 GI/2005) establishing the Southern Regional Power Committee (SRPC) under the provisions of sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 and the subsequent amendment made vide Resolution dated 29th November, 2005, the following amendments are hereby made:

Para 3 of the resolution dated 29-11-2005 is replaced by the following para 3:

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Southern Regional Power Committee (SRPC) comprising the States of Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry with the following members :—

(i) Member (Grid Operations) Central Electricity Authority (CEA).

(ii) One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), National Load Despatch Centre (NLDC) and the Southern Regional Load Despatch Centre (SRLDC).

(iii) From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

(iv) From each of the Union Territories in the region, a representative nominated by the administration of the Union Territory concerned out of the entities engaged in generation/transmission/distribution of electricity in the Union Territory.

(v) A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

(vi) A representative of the generating companies having power plants in the region [not covered in (ii) to (v) above] by alphabetical rotation.

(vii) One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(viii) Member Secretary, SRPC—Convenor.

Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004–आर एण्ड आर (खण्ड-II).— भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004–आर एण्ड आर दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप–धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं: –

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा-3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :–

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल एवं संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया जाता है :–

(i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) तथा वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।

(iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एचएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।

(iv) क्षेत्र के प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र में उत्पादन/पारेषण/बिजली के वितरण से जुड़ी कंपनियों से संबंधित संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

(v) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियां) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मै. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।

(vi) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।

(vii) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वोल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।

(viii) सदस्य सचिव, एनआरपीसी-संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों(सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी पी. केशरी, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 9th May, 2008

F. No. 23/1/2004-R&R (Vol.-II).—In this Ministry's Resolution F.No. 23/1/2004-R&R dated 25th May, 2005 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, (1596 GI/2005) establishing the Northern Regional Power Committee (NRPC) under the provisions of sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 and the subsequent amendment made *vide* Resolution dated 29th November, 2005, the following amendments are hereby made:—

Para 3 of the resolution dated 29.11.2005 is replaced by the following para 3:—

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Northern Regional Power Committee (NRPC) comprising the States of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttaranchal and the Union Territory of Chandigarh with the following members :—

(i) Member (Grid Operations) Central Electricity Authority (CEA).

(ii) One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), National Load Despatch Centre (NLDC) and the Northern Regional Load Despatch Centre (NRLDC).

(iii) From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

(iv) From each of the Union Territories in the region, a representative nominated by the administration of the Union Territory concerned out of the entities engaged in generation/transmission/distribution of electricity in the Union Territory.

(v) A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

(vi) A representative of the generating companies having power plants in the region [not covered in (ii) to (v) above] by alphabetical rotation.

(vii) One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(viii) Member Secretary, NRPC — Convenor.

Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).— भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (ईआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :–

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :–

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की पूर्व क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया जाता है :–

(i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) तथा ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (ईआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।

(iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एचएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।

(iv) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियां) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मै. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।

(v) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (iv) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।

(vi) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वोल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।

(vii) सदस्य सचिव, ईआरपीसी संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी पी. केशरी, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 9th May, 2008

F. No. 23/1/2004-R&R (Vol.-II).—In this Ministry's Resolution F.No. 23/1/2004-R&R dated 25th May, 2005 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, (1596 GI/2005) establishing the Eastern Regional Power Committee (ERPC) under the provisions of sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 and the subsequent amendment made *vide* Resolution dated 29th November, 2005, the following amendments are hereby made:—

Para 3 of the resolution dated 29.11.2005 is replaced by the following para 3 :—

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Eastern Regional Power Committee (ERPC) comprising the States of Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal and Sikkim with the following members :—

(i) Member (Grid Operations) Central Electricity Authority (CEA).

(ii) One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), National Load Despatch Centre (NLDC) and the Eastern Regional Load Despatch Centre (ERLDC).

(iii) From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

(iv) A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

(v) A representative of the generating companies having power plants in the region [not covered in (ii) to (iv) above] by alphabetical rotation.

(vi) One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(vii) Member Secretary, ERPC—Convenor. Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.